FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0267 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2026 18:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/09/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:13 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2026 18:29:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** BRAJESH DHAKAD KI BAKSE KI DUKAN, KASBA WEIR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DHARMVEER SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE. RAVTI SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAIVARA, BHUSAWAR, HALENA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAIVARA, BHUSAWAR, HALENA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GOVIND PRASAD URF GOVIND PRASAD GARG		पिता:DINESH CHAND	1. 61,PURANI ANAJ MANDI,WEIR,WEIR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मै धर्मवीर गांव नैवाडा पोस्ट नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर का निवासी हूं। मेरी फर्म का नाम आरव कन्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स नैवाडा भुसावर भरतपुर है। मेरी फर्म का टेण्डर ग्राम पंचायत नैवाडा में है। मै ग्राम पंचायत नैवाडा एवं जहानपुर में मैटेरियल सप्लाई का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नैवाडा में मैटेरियल सप्लाई किया गया था जिनका मेरा भुगतान हो गया है। उक्त कार्य की माप पुस्तिका व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर मेरे हस्ताक्षर (सत्यापित) करने की एवज में पैंतीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर पंचायत समिति भुसावर के सहायक अभियंता गोविन्द गर्ग परेशान कर रहे है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। उक्त कर्मचारी से मेरा पूर्व का कोई लेन देन बकाया नही है और ना ही कोई व्यक्तिगत रंजिश है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी धर्मवीर प्रार्थी धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. रेवती सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नैवाडा थाना हलैना तहसील भुसावर भरतपुर राज. मोबाईल नम्बर एसडी महेशचन्द एसडी महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर 08.09.26, एसडी नितिन कुमार 14.09.26 एसडी विमल कुमार 14.09.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.09.2026 समय -03.30 पीएम पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. रेवती सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नैवाडा पुलिस थाना हलैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर मय सहपरिवादी महेशचन्द के उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को इस आशय का पेश की कि मै धर्मवीर गांव नैवाडा पोस्ट नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर का निवासी हूं। मेरी फर्म का नाम आरव कन्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स नैवाडा भुसावर भरतपुर है। मेरी फर्म का टेण्डर ग्राम पंचायत नैवाडा में है। मै ग्राम पंचायत नैवाडा एवं जहानपुर में मैटेरियल सप्लाई का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत नैवाडा में मैटेरियल सप्लाई किया गया था जिनका मेरा भुगतान हो गया है। उक्त कार्य की माप पुस्तिका व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर मेरे हस्ताक्षर (सत्यापित) करने की एवज में पैंतीस हजार रूपये की रिश्वत की मंाग कर पंचायत समिति भुसावर के सहायक अभियंता गोविन्द गर्ग परेशान कर रहे है । मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। उक्त कर्मचारी से मेरा पूर्व का कोई लेन देन बकाया नही है और ना ही कोई व्यक्तिगत रंजिश है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे व सहपरिवादी महेशचन्द के हस्ताक्षर है। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय-04.00 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में कार्यालय की आलमारी से श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी निकलवाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर सहपरिवादी महेशचन्द के समक्ष परिवादी धर्मवीर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री धर्मवीर को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मंाग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह कानि. मय परिवादी धर्मवीर व सहपरिवादी महेशचन्द को परिवादी की कार से पंचायत समिति भुसावर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 07.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 मय परिवादी धर्मवीर व सहपरिवादी महेशचन्द परिवादी की कार से उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द हालात में प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व सहपरिवादी महेशचन्द, श्री राजेन्द्र कानि. आपके कार्यालय से मेरी कार से रवाना होकर पंचायत समिति भुसावर के बाहर पहुंचे जंहा राजेन्द्र कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया व राजेन्द्र कानि. वहीं आस पास खडा हो गया

। मै वॉईस रिकॉर्डर लेकर सहपरिवादी महेशचन्द के साथ पंचायत समिति भुसावर के अन्दर गोविन्द गर्ग सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर के पास गया। थोडी देर बाद मै व सहपरिवादी बाद रिश्वत मांग सत्यापन के श्री राजेन्द्र कानि. के पास आये और डिजीटल वॉईर रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री राजेन्द्र कानि को सुपुर्द किया। श्री राजेन्द्र कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद मैने राजेन्द्र कानि. को बताया कि मेरी गोविन्द गर्ग सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर से रिश्वत के संबध में वार्तालाप हो गई है। आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता ने मेरे से 35,000/- रूपये रिश्वत की मांग की है। मैने 30,000/- रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा है जिस पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की हां की है। आरोपी द्वारा मुझे दिनांक 10.09.26 को रिश्वत राशि लेकर बुलाया है कल मैं 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर के कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। उक्त बार्तालाप के संबध में श्री राजेन्द्र कानि. व सहपरिवादी महेशचन्द से पूछा तो श्री राजेन्द्र कानि. व सहपरिवादी महेशचन्द ने परिवादी द्वारा बताई गई समस्त बातों की ताईद की गई। श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होना पाई गई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 10.09.26 समय-09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिए वाट्सअप कॉल अवगत कराया कि सुबह मेरे पास आरोपी का वाट्सअप कॉल आया था और मैं व्यस्त होने की वजह से आरोपी का फोन नही उठा पाया और आरोपी को मैंने भी इलैक्शन में व्यस्त होने का मैसेज कर दिया है। मैं चुनावों मे व्यस्त हूं। इसलिए 14.09.26 के बाद दोपहर आपको रिश्वत राशि के साथ डहरामोड के पास मिल जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 14.09.26 समय-01.00 पीएम पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह ने जरिए वाट्सअप कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि मेरे पास रिश्वत राशि का व्यवस्था हो गई है मैं आपको डहरामोड से आगे हंतरा से पहले हाइवे पर मिल जाउंगा। तत्पश्चात समय-01.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर पूर्व से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजबहादुर मेमोरियल हॉस्पीटल भरतपुर द्वारा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान को जरिए मोबाइल तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम पता क्रमशः श्री नितिन कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी केशव बिहार कॉलोनी भरतपुर हाल नर्सिगं ऑफीसर राजबहादुर मैमोरियल अस्पताल भरतपुर श्री विमल कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह जाति कुम्हार उम्र 39 साल निवासी एसबीआई बैंक के पास कुम्हेर जिला डीग हाल नर्सिगं ऑफीसर राजबहादुर मैमोरियल अस्पताल भरतपुर होना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार ने बताया कि पूर्व से पाबंदशुदा गवाह श्री अमित कुमार के बच्चे की तबियत खराब होने से इलाज में व्यस्त होने से आज श्री अमित कुमार के स्थान पर श्री विमल कुमार जी आये हैं तत्पश्चात परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। परिवादी द्वारा दी गई लिखित तहरीरी रिपोर्ट को पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय-02.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि. , श्रीमती शगुन महिला कानि. मय फिनॉफ्थलीन पाउडर के डिब्बा , श्री परसराम कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, नये मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के ट्रेप वाहन सरकारी बोलेरो से रवाना हुआ एवं श्री सुशील कुमार कानि. को भी मय अपनी निजी मोटरसाईकिल के डहरा मेाड से आगे हंतरा के पास हाइवे पर मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात मेरे पीछे पीछे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610, श्री लोकेश कुमार कानि.85 , मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि. मय प्राईवेट वाहन के कार्यवाही में निर्देशन हेतु एसीबी कार्यालय भरतपुर से रवाना हुए। तत्पश्चात समय- 03.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि. , श्रीमती शगुन महिला कानि. मय फिनॉफ्थलीन पाउडर के डिब्बा , श्री परसराम कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, नये मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के मय प्राइवेट वाहनों के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा डहरा मोड से आगे हंतरा से पहले रोड पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री धर्मवीरसिंह मय सहपरिवादी श्री महेशचंद के व श्री सुशील कुमार कानि. अपनी निजी मोटरसाइकिल के उपस्थित मिला तत्पश्चात परिवादी व सहपरिवादी को दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात समय- 03.18 पीएम पर दर्ज रहे कि मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री धर्मवीर सिंह से उसके मोबाइल से समय 3.12 पी.एम. , 3.13 पी.एम. , 3.14 पी.एम. पर आरोपी के मोबाइल पर जरिए वाट्सअप कॉल वार्तालाप करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि आप फोन नही उठा रहे हो तो परिवादी ने कहा कि मैं इलैक्शन में व्यस्त हो गया था और रिश्वत राशि लेके घूम रहा हूं तत्पश्चात आरोपी ने कहा कि मैं अब वैर हूं आप वैर बस स्टैण्ड पर आ जाओ। उक्त वार्तालाप को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय- 03.20 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. रेवती सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नैवाडा

पुलिस थाना हलैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर से आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 59 नोट व 100-100 रूपये के 05 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 30,000/-(तीस हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात कुमारी शगुन महिला कानि नं. 43 के पास सुरक्षित रखे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त नोटों पर कुमारी शगुन महिला कानि नं. 43 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री धर्मवीर सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000/-रूपये के नोटों को कुमारी शगुन महिला कानि नं. 43 से परिवादी की पहनी हुई जींस की पेंट की सामने की दांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा अपने सिर व मुंह पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकालकर सरकारी गाडी में रखी पानी की बोतल में से साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली कुमारी शगुन महिला कानि नं. 43 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी, सहपरिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड के साइड में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर कुमारी शगुन महिला कानि नं. 43 को संभलाकर सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी, सहपरिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों व पाउडर लगाने वाली कुमार शगुन महिला कानि. के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर सहपरिवादी, दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी के वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा शामिल की गई। तत्पश्चात समय-03.40 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री धर्मवीर को मय सहपरिवादी महेश चन्द के परवादी की निजी मोटरसाईकिल के रवाना मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि., श्री परसराम कानि., श्री लोकेश कुमार कानि., श्री दिलीप कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, नये मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के ट्रेप कार्यवाही हेतु मय सरकारी बोलेरो से रवाना हुआ एवं श्री सुशील कुमार कानि. एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को श्री सुशील कुमार कानि. के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से कस्बा वैर बस स्टैण्ड के पास रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक के पीछे पीछे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह मय श्रीमती शगुन महिला कानि. मय फनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा के मय प्राईवेट वाहन के कार्यवाही में निर्देशन हेतु कस्बा वैर रवाना हुए।तत्पश्चात समय- 03.59 पी.एम पर कस्वा वैर से पूर्व आरोपी गोविन्द प्रसाद ने परिवादी श्री धर्मवीर के मोबाइल पर वाट्सअप पर कॉल कर आने के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने 05 मिनट में बस स्टैण्ड वैर पहुंचने के लिए कहा उक्त वार्तालाप को वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री धर्मवीर को मय सहपरिवादी महेश चन्द के परवादी की निजी मोटरसाईकिल के रिश्वत लेनदेन हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि., श्री परसराम कानि., श्री लोकेश कुमार कानि., श्री दिलीप कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा, नये मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के ट्रेप कार्यवाही हेतु मय सरकारी बोलेरो से रवाना हुआ एवं श्री सुशील कुमार कानि. एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को श्री सुशील कुमार कानि. के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से कस्बा वैर बस स्टैण्ड के पास रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक के पीछे पीछे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह, श्रीमती शगुन महिला कानि. मय फनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा के कस्बा वैर के बाहर ही छोडकर मय प्राईवेट वाहन के कार्यवाही में निर्देशन हेतु कस्बा वैर रवाना हुए। तत्पश्चात समय- 04.10 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता

मय ट्रेप कार्यवाही साजो सामान व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस स्टैण्ड वैर के पास पहुंचकर श्री अमित सिंह के अपनी व ट्रेप टीम , स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति छुपाते हुए खडे हो गये। परिवादी के नियत इशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय- 04.45 पीएम पर दर्ज रहे कि दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को समय 04.13 पी. एम. पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता , मय स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना वैर के पास बृजेश धाकड की बक्शे बनाने की दुकान पर पहुंचा तो परिवादी श्री धर्मवीर सिंह व सहपरिवादी महेशचन्द उपस्थित मिला परिवादी से पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा । तत्पश्चात परिवादी श्री धर्मवीर सिंह ने बताया कि लाल व काले रंग की धारीदार टीशर्ट पहने हुए जो व्यक्ति खडा है वो ही गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता हैं जिसनेे अभी अभी मुझसे रिश्वत के 30,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर दुकान के अंदर पूजा घर में रख दिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहीयान मय गवाहान के उक्त व्यक्ति के पास पहुंचकर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री दिनेश चन्द जाति वैश्य उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर 61, पुरानी अनाज मंडी वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर होना बताया। ततपश्चात श्री लोकेश कुमार कुमार कानि न.85 से विभागीय विडीयो कैमरा चालू करवाकर उक्त व्यक्ति से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है और नाही कोई रिश्वत राशि की मांग की है जिस पर उक्त व्यक्ति के बांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री परसराम कानि नं. 203 से तथा दांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 द्वारा पकडवाया जाकर एवं रिश्वत राशि को दुकान के अन्दर बने पूजा घर से स्वतंत्र गवाह श्री विमल कुमार से उठवाया जाकर उक्त रिश्वत राशि का पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू पाई गई। रिश्वत राशि को उक्त स्वतंत्र गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात भीडभाड अधिक हो जाने से कार्यवाही के लिए उचित स्थान नही होने से आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता को हाथ पकडी हुई अवस्था में ही रवाना होकर मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वत राशि के पुलिस थाना वैर के अंदर थानाधिकारी कक्ष के अंदर पहुंचा जहां थानाधिकारी को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर कार्यवाही के लिए कमरा उपलब्ध कराने की कहने पर थानाधिकारी ने स्वेच्छा से थानाधिकारी कक्ष में कार्यवाही करने की सहमति दी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली देकर आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही ली है और नाही मैने कोई रिश्वत मांगी है। तत्पश्चात परिवादी श्री धर्मवीर ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि ऐईयन साहब झूंठ बोल रहे हैं। मै ग्राम पंचायत नैवाडा व जंहानपुर में संवेदक का कार्य करता हूं एईयन साहब मेरे से मेरे मार्फत ग्राम पंचायत नैवाडा के सरपंच पुत्र महेशचन्द से माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर करने की एवज में 39,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे थे दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.09.2026 को 39,000 रूपये रिश्वत की कह कर 35,000 रूपये देने के लिए कहा एवं मेरे द्वारा निवेदन करने पर 30,000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गये जिस पर आज फोन कर मुझे वैर बुलाकर बृजेश धाकड की बक्शे बनाने की दुकान पर 30,000 रूपये रिश्वत राशि अपने बांये हाथ से लेकर दुकान के अन्दर बने हुये पूजा घर में रख दिये थे। तत्पश्चात श्री लोकेश कुमार कानि नं. 85 से विभागीय विडीयो कैमरा चालू कराकर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेपबॉक्स में से तामचीनी का कटोरा व पारदर्शी एक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर थानाधिकारी कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल में बाथरूम के नल से साफ पानी मंगाकर गिलास व तामचीनी का कटोरे को साफ करवाकर डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच -1 व एल.एच.-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। पुनः ट्रेपबॉक्स में से दूसरा पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर थानाधिकारी कक्ष में रखी हुई दूसरी पानी पीने की बोतल में थाना परिसर में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी मंगाकर तामचीनी का कटोरे व गिलास को साफ करवाकर डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच -1 व आर.एच.-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं तामचीनी का कटोरे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। ततपश्चात पुनः गवाह श्री नितिन कुमार से टे्रप बॉक्स से रूई का फोहा व सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा व डिस्पोजल गिलास निकालकर व एक पानी की बोतल

लेकर बृजेश धाकड की बक्से की दुकान के अन्दर बने पूजा घर जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई की धुलाई के लिए मन पुलिस निरीक्षक मय श्री परसराम कानि नं. 203 , श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106, श्री सुशील कुमार कानि नं. 557 मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता के रवाना होकर बृजेश धाकड की बक्से की दुकान पर पहुंचकर स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से डिस्पोजल गिलास को अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। उक्त घोल में रूई के फोहे को डुबोकर निचोडकर पूजा घर जंहा आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता द्वारा रिश्वत राशि रखी गई थी को पुछवाया जाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आरएफ-1 व आरएफ-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया तथा रूई के फोहे को सुखवाया जाकर रूई के फोहे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर मार्क आरएफ अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। ततपश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय आरोपी के रवाना होकर पुलिस थाना वैर पहुंचा। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विमल कुमार के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 30,000/- रूपये के नम्बरों को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाए गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता से परिवादी व सहपरिवादी के कार्य से संबधित माप पुस्तिका व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के संबध में पूछा तो बताया कि कनिष्ठ अभियंता या ग्राम सचिव के पास होना बताया। परिवादी के कार्य से संबधित माप पुस्तिका व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के संबध में विकास अधिकारी पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर को जरिये टेलीफोन उक्त रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया। रिकॉर्ड प्राप्त होने पर पृथक से जब्त किया जावेगा। आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियो ग्राफी सरकारी विडियो कैमरा से श्री लोकेश कुमार कानि नं. 85 से करवाई गई। जिसकी सीडी/ पेनड्राइव पृथक से तैयार की जावेेगी। फर्द हाथ धुलाई मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 07.15 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 05.50 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह मय श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 मय स्वतंत्र गवाहान के एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु दत्तात्रेय मोहल्ला कस्बा वैर मय प्राइवेट वाहन मय वीडियो कैमरा मय मेमोरी कार्ड के रवाना हुए। हाथ धुलाई के मेमोरी कार्ड को वीडियोकैमरे से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 07.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री दिनेश चन्द जाति वैश्य उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर 61, पुरानी अनाज मंडी वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री धर्मवीर व सहपरिवादी महेशचन्द से माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर करने की एवज में 39,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.09.2026 को 39,000 रूपये रिश्वत की कह कर 35,000 रूपये देने के लिए कहना एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 30,000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत होना व आज दिनांक 14.09.26 को रिश्वत राशि 30,000 लेते हुए रंगे हाथो पकडे जाने पर कारणों , कारित अपराध एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार से लिवाई गई तो काले रंग का एक पर्स मिला जिसमें 3500 रूपये एवं एक मोबाइल रियल मी कम्पनी के अलावा अन्य कोई नकदी व वस्तु नही मिली और अलावा मोबाईल के अन्य कोई सामान कब्जा एसीबी नही लिया गया। अभियुक्त की दौराने तलाशी काले रंग के पर्स में मिली राशि 3500 रूपये के सम्बंध में जबाव संतुष्टप्रद पाये जाने पर तलाशी में मिली राशि 3500 रूपये व पर्स को मौके पर उपस्थित आरोपी के चचेरे भाई कपिल उर्फ हैप्पी को सुपुर्द किया गया। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना भी आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी के चचेरे भाई श्री कपिल गर्ग को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 09.30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय- 09.55 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये मय धोवन की शील्ड

शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, वीडियोग्राफी मेमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के पुलिस थाना वैर से आरोपी के रिहायशी मकान दत्तात्रेय मौहल्ला कस्बा वैर रवाना हुआ। परिवादी एवं सह परिवादी को कल दिनांक 15.09.26 को सुबह कार्यालय एसीबी चौकी भरतपुर में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय- 10.10 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, वीडियोग्राफी मेमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के आरोपी के रिहायशी मकान दत्तात्रेय मौहल्ला कस्बा वैर पहुंचा जहां श्रीमान एडीशनल एसपी साहब द्वारा आरोपी के रिहायशी मकान में मिली राशि कुल 43 लाख 38 हजार 500 रूपये एवं 04 चांदी जैसी धातु की सिल्लियों के बारे में आरोपी से पूछताछ की गई । बाद पूछताछ मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, वीडियोग्राफी मेमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के आरोपी के रिहायशी मकान दत्तात्रेय मौहल्ला कस्बा वैर से रवाना एसीबी चौकी भरतपुर हुआ। तत्पश्चात दिनांक 15.09.26 समय- 00.35 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता को कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होने से पुलिस थाना मथुरागेट की हवालात में दाखिल कराकर मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः, शील्ड पैकिट को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री रविकुमार हैडकानि नं. 52 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वॉईस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड व बरामदगी रिश्वत राशि की वीडियोग्राफी मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय- 10.30 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी एवं सहपरिवादी उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 10.40 एएम पर श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 , श्री मेघसिंह कानि. 128 , श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 चालक मनोज कुमार 647 के वास्ते लेने बंद हवालात आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता को लाने हेतु रवाना पुलिस थाना मथुरागेट किया गया। तत्पश्चात समय- 11.10 एएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 , श्री मेघसिंह कानि. 128 , श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 चालक मनोज कुमार 647 बंद हवालात आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आये । आरोपी को जाब्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 11.15 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार एवं श्री विमल कुमार उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 11.25 ए.एम. पर वक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमेारी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.09.26 व रिश्वत लेनदेन व मोबाइल वार्ता दिनांक 14.09.26 के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय-11.30 ए.एम पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह व सहपरिवादी श्री महेशचंद व आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर के मध्य दिनांक 08.09.26 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.09.26 को हुई परिवादी व सहपरिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाइल व रिश्वत लेनदेन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री राजेन्द्र सिंह कानि नं. 106 से तैयार करवाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व लेनदेन वार्ता की सीडियां पृथक से तैयार की जावेंगी। तत्पश्चात समय-1.00 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मवीर सिंह व सहपरिवादी श्री महेशचंद व आरोपी गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर के मध्य दिनांक 08.09.26 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.09.26 को हुई परिवादी व सहपरिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाइल व रिश्वत लेनदेन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत लेनदेन व मोबाइल वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री राजेन्द्र सिंह कानि नं. 106 से तैयार करवाया जाकर श्री दुष्यतं सिंह सहायक प्रौग्रामर द्वारा तीन सीडी तैयार करवाई गई। उक्त तीन

सीडीयों में सेव ऑडियो फाईल की FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ ए ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ एम ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति सीडी पर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 03.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 85 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वीडियोकैमरा में डालकर वीडियोग्राफी की तीन सीडी श्री दुष्यंत कुमार सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाई जाकर उक्त सीडियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल प्रति एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को सफेद कपडे की थैलियों में अलग-अलग रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को पृथक से कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वीडी' अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्डशुदा मेमोरी कार्ड एवं सीडियों को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. नं.52 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय- 03.10 पी.एम पर श्री ओमी राय उप निरीक्षक को मय श्री सुरेश कुमार कानि. 185, श्री सतेन्द्र सिह कानि. के आरोपी गोविन्दप्रसाद सहायक अभियंता का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु आर.बी.एम. हॉस्पीटल भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 03.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश चंद सैनी पंचायत समिति भुसावर, जेटीए श्रीमती नीरजादत्त वर्मा , श्रीमती खुश्बू पांडे हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नैवाडा ने उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी एवं सहपरिवादी के कार्य से सम्बंधित माप पुस्तिका व कार्य पत्रावली प्रस्तुत की जिनका बाद अवलोकन पृथक जब्त कर फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 04.00 पी.एम पर फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा श्री ओमी राय उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता के बाद करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण अभियुक्त गोविन्द प्रसाद सहायक अभियंता आर.बी.एम. हॉस्पीटल भरतपुर से वापस कार्यालय आया। तत्पश्चात समय- 04.15 पी. एम- पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 85 को परिवादी व सह परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री विमल कुमार को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी, सहपरिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी गोविन्द प्रसाद उर्फ गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द जाति वैश्य उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर 61, पुरानी अनाज मंडी वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री धर्मवीर व सहपरिवादी महेशचन्द से माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर करने की एवज में 39,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.09.2026 को 39,000 रूपये रिश्वत की कह कर 35,000 रूपये देने के लिए कहना एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 30,000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत होना व वक्त रिश्वत लेन देन दिनांक 14.09.26 को रिश्वत राशि 30,000 लेते हुए रंगे हाथो पकडे जाने का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।(महेन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गोविन्द प्रसाद उर्फ गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द जाति वैश्य उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर 61, पुरानी अनाज मंडी वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करोली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 249 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1535-38 दिनांक 18-09-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2-शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/09/2026 18:32:23

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)